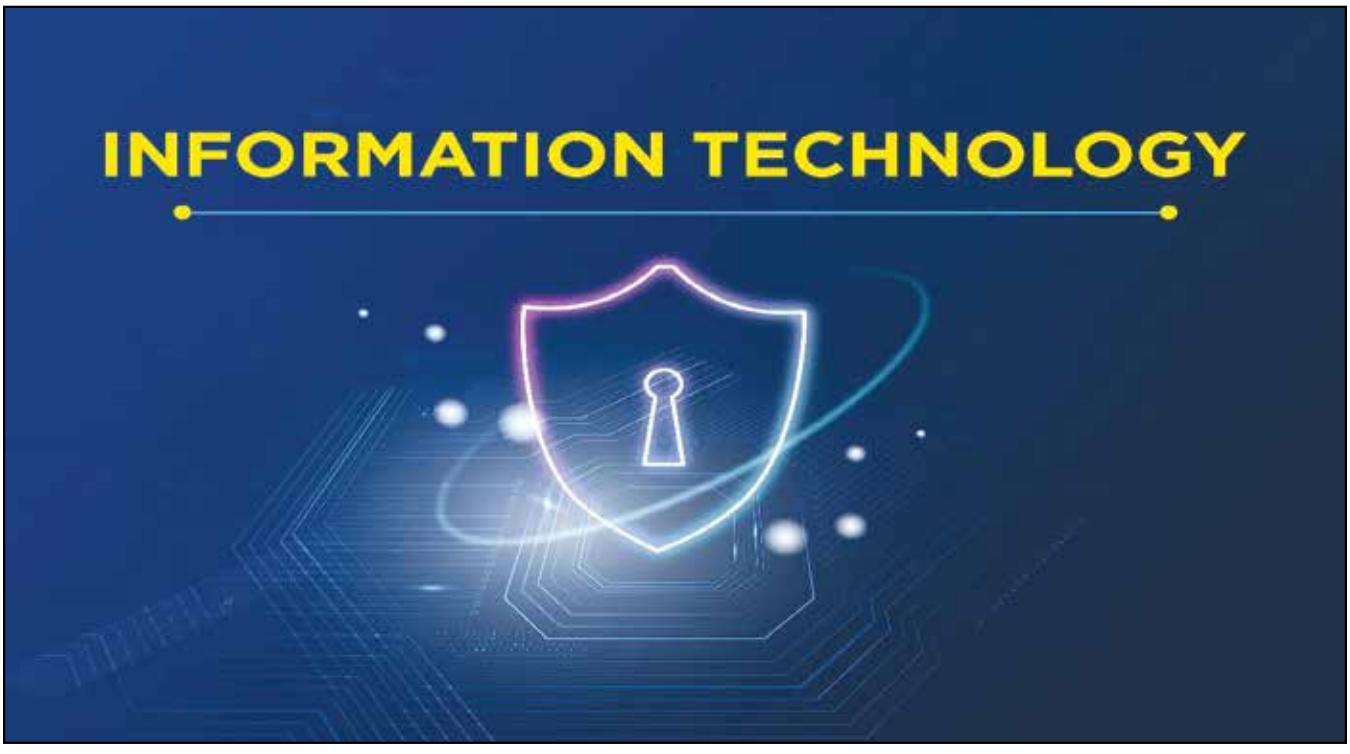

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परिदृश्य के विविधीकरण और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ, उपयोगकर्ता की बदलती अपेक्षाओं के मद्देनजर गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाना सरकार के लिए बिल्कुल जरूरी हो गया है।

वर्ष 2023–24 में, कोयला मंत्रालय ने एनआईसी के साथ मिलकर ई–सरकार/ई–सरकार समाधान प्रदान करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, एकीकृत सेवाओं और व्यापक समाधान वितरण को अपनाने के लिए आईटी कार्य वातावरण में मानकीकरण और सुधार की दिशा में कड़ी मेहनत की है और नेतृत्व किया है।

कोयला मंत्रालय में एनआईसी कोयला कंप्यूटर सेंटर सुरक्षित बहु–मंच कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोगों / समाधान, डेटाबेस सपोर्ट, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान करने और कार्यान्वित करने के लिए नवीनतम कंप्यूटर प्रणालियों से सुसज्जित है। कोयला मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और कोयला मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती को गति देने के लिए एनआईसी–मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है।

एनआईसी की कोयला मंत्रालय में एक समर्पित टीम है जिसमें उप महानिदेशक (डीडीजी) रैंक का एक अधिकारी, दो वरिष्ठ निदेशक (आईटी), एक विभागाध्यक्ष (एचओडी) और एक वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक–बी रैंक का अधिकारी है। मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) प्रकोष्ठ के समन्वय से विभिन्न परियोजनाएं/कार्यकलाप शुरू किए हैं

1.1. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/ कार्यकलाप

- ई–गवर्नेंस परियोजनाओं और संबंधित प्रशिक्षण का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- वेब साइट की डिजाइन, विकास और होस्टिंग
- वेब पोर्टल और वेब आधारित अनुप्रयोगों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- एनआईसी क्लाउड–मेघराज पर वेब साइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों की तैनाती ताकि बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके और मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों का विकास और तैनाती में तेजी लाई जा सके।
- साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन
- लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव
- ई–मेल पर सहायता
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- कोल इंडिया लि और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, एससीसीएल और सीएमपीएफओ को उनकी आईसीटी से संबंधित परियोजनाओं/ गतिविधियों में सहायता

1.2. ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग/पोर्टल

एनआईसी जेनेटिक ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर मंत्रालय के अधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है जैसे कि:

- https://coal.eoffice.gov.in
- https://pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग सिस्टम)
- https://e-samiksha.gov.in
- https://limbs.gov.in (न्यायालय मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब अनुप्रयोग)

- ई–निविदा (निविदा प्रकाशन के लिए केन्द्रीयकृत सार्वजनिक प्रापण पोर्टल), ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), ई–सेवा पुस्तिका, स्पैरो, स्वागत (आगंतुक प्रबंधन प्रणाली), आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि।

1.3. ई–गवर्नेंस पहलें: विभिन्न स्कीमों से संबंधित विकसित किए जाने वाले ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग निम्नानुसार हैं:

1. **सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम:** भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के एक हिस्से के रूप में, कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की अवधारणा की थी जो भारत में कोयला खानों के सुचारू संचालन के साथ–साथ एकल गेटवे के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।

   व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए, एसडब्ल्यूसीएस का एक एकीकृत मंच तैयार किया गया है जिसमें समयबद्ध तरीके से खनन योजना और खान समापन योजना के अनुमोदन के लिए पहले से ही परिचालन मॉड्यूल और नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस मंजूरी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूसीएस) के साथ एकीकरण शामिल है।

   पीआरआईएमएस (परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली) नामक एक मॉड्यूल प्रचालनरत किया गया है। यह मॉड्यूल दैनिक और मासिक आधार पर कोयला उत्पादन खान–वार का पता लगाता है और कोयला उत्पादन की निगरानी करने और कोयला खानों के और तेजी से कार्यान्वयन में मंत्रालय को सुविधा भी प्रदान करता है। यह कोयला खदानों से कोयले के प्रेषण के विवरण को भी ट्रैक करता है।

ii. कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) विकसित की गई है और आयातकों के लिए कोयला मदों के आयात के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने के लिए इसका रखरखाव किया गया है। यह पोर्टल सरकार को आयात किए जा रहे कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर नजर रखने और तदनुसार नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगा।

   कोयले की जिन श्रेणियों पर सीआईएमएस लागू होगी उनमें एन्थ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, कोकिंग कोयला और भाप कोयला शामिल हैं। सीआईएमएस में पहले के ऑनलाइन पंजीकरण देखने की सुविधा भी है। इसके अलावा, अपूर्ण आवेदन जो डीजीएफटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे भी समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए सीआईएमएस में उपलब्ध हैं।

iii. मंत्रालय की वेबसाइट (https://coal.gov.in) किसी भी संगठन का अभिन्न अंग है। मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी, उपयोगकर्ता के अनुकूल है और महत्वपूर्ण और नवीनतम अद्यतन जानकारी के लिए एक आसान नेविगेशन और त्वरित पहुंच प्रदान करती है। वेबसाइट को सभी हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों से पहुंच को सक्षम करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट में कोयला उत्पादन आपूर्ति, कोयला ब्लॉक आवंटन कोयला खानों की नीलामी, कोयला खानों में सुरक्षा, अधिनियम नीतियां, नागरिक चार्टर, सतत विकास, प्रौद्योगिकी रोडमैप, कोयला गैसीकरण, निविदा सूचनाएं, विज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यक्रम, प्रेस विज्ञप्ति, आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) आदि के संबंध में आयोजित और आयोजित की जाने वाली गतिविधियों जैसे नवीनतम कोयला सांख्यिकी को जोड़कर बेहतर और समृद्ध किया गया है। वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और प्रमुख उपलब्धियों को जोड़कर और वीडियो सामग्री और फोटो गैलरी (कार्यक्रम / घटना वार) आदि जोड़कर समृद्ध किया जाता है। वेबसाइट का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान देना। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नागरिक के लिए शून्य डाउनटाइम बनाए रखा गया है। वेबसाइट जीआईजीडब्ल्यू अनुरूप है और एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित है।

iv. ई–ऑफिस एक वेब–आधारित प्रणाली है जिसे मंत्रालय में फाइलों और प्राप्ति की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए लागू और अनुरक्षित किया गया है। ई–ऑफिस उत्पाद का उद्देश्य अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से शासन का समर्थन करना है। यह कोयला मंत्रालय में पूरी तरह कार्यात्मक है। मंत्रालय में फाइलों का वास्तविक रूप से कोई संचलन नहीं होता है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वेब वीपीएन समर्थन गैर–निकनेट नोड्स / लैपटॉप के लिए बढ़ाया गया है ताकि कार्यालय के बाहर से ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म में नॉनस्टॉप काम करना सुनिश्चित किया जा सके। प्रणाली का उपयोग करने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों को एनआईसी ईमेल सुविधा प्रदान की गई है और समय–समय पर मंत्रालय के अधिकारियों को आवश्यक परिचालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने ई–ऑफिस 7-x के नए संस्करण में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया है।

5. **कोयला खानों की स्टार रेटिंग**– कोयला खनन प्रचालनों से अनेक नियमों, विनियमों का अनुपालन करने की आशा की जाती है। ये मुख्य रूप से सुरक्षा, पर्यावरण, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, कामगारों के कल्याण आदि से संबंधित हैं। सभी खानों से सभी विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। स्टार रेटिंग नीति का उद्देश्य सात प्रमुख मापदंडों में विभिन्न कारकों के आधार पर खानों का मूल्यांकन करना है: खनन संचालन, पर्यावरण से संबंधित पैरामीटर, प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सर्वोत्तम खनन प्रथाएं, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास पुनर्वास, श्रमिकों से संबंधित अनुपालन और सुरक्षा संरक्षा।

मंत्रालय ने उपर्युक्त क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की पहचान करने और उन्हें उचित मान्यता देने के लिए कोयला खानों की स्टार रेटिंग नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है। सम्मानित रेटिंग फाइव स्टार से लेकर नो स्टार तक होती है, जो प्रत्येक खदान की उपलब्धियों का व्यापक मूल्यांकन करती है।

vi. **कोयला दर्पण पोर्टल (कोयला डैशबोर्ड)**–अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) साझा करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित और बनाए रखा गया है। यह डैशबोर्ड दैनिक आधार पर वास्तविक समय कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण की निगरानी करता है। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण से संबंधित डेटा कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), सीसीओ से एपीआई के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) आधारित विश्लेषण किया गया था। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के केपीआई को वेब एपीआई का उपयोग करके प्रयास पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कोयला मंत्रालय का कोयला दर्पण डैशबोर्ड कोयला/लिग्नाइट उत्पादन, कोयला/लिग्नाइट उठान, अन्वेषण, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, ब्लॉकों के आवंटन (सीएमएसपी/एमएमडीआर), प्रमुख कोयला खानों (सीआईएल) की निगरानी, कोयले की कीमत से संबंधित केपीआई प्रदर्शित करता है। पोर्टल में कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के संबंध में विभिन्न प्रकार की ग्राफिकल रिपोर्ट शामिल हैं।

vii. प्रभावी निर्णय लेने, ट्रैकिंग, सूचना साझा करने और क्रॉस फंक्शनल लर्निंग के लिए कोयला मंत्रालय के विभिन्न वर्गों को सौंपे गए प्रमुख परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों के निर्देशों और निर्णयों की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक कोयला टास्क मास्टर पोर्टल बनाया गया है।

viii. ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की परियोजना–ई–एचआरएमएस को मंत्रालय के लिए अनुकूलित और कार्यान्वित किया गया था।

यह डीओपीटी के कैडर अधिकारियों की सेवाओं से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है। सुविधाओं में ई–सर्विस बुक का रखरखाव, छुट्टी, टूर, प्रशिक्षण, एलटीसी, कार्य प्रवाह का उपयोग करके ऑनलाइन प्रतिनियुक्ति शामिल है। सभी अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं को डिजिटाइज किया गया, व्यक्ति और प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया और मंत्रालय के कार्य प्रवाह के लिए सॉफ्टवेयर को अनुकूलित किया गया। कर्मचारी प्रशासन पर डेटा अपडेट करने के लिए निर्भर नहीं होंगे, लेकिन वे संबंधित प्रशासन द्वारा सत्यापन के अधीन अपने लॉगिन के साथ डेटा को स्वयं अपडेट कर सकते हैं। वे स्थिति को ट्रैक करने और विवरण का तुरंत मिलान करने में सक्षम होंगे।

ix. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा**–एक स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और डेस्कटॉप आधारित वीसी (भारतवीसी), मंत्रालय में एनआईसी द्वारा एक सुरक्षित संचार सुविधा प्रदान की गई है जिसका कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों एससीसीएल और एनएलसीआईएल, कंडक्शन बोर्ड बैठक, उप–समूह की बैठक आदि के साथ भारत में कोयला उत्पादन और ऑफ टेक और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को आपूर्ति की निगरानी विद्युत उत्पादन के लिए दैनिक आधार पर मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। इस वर्ष हमने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वीडियो सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस वर्ष के दौरान लगभग 750 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ली गई प्रगति बैठकों के दौरान सचिव (एमओसी) द्वारा इस सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

10. **प्रयास–पीएमओ डैशबोर्ड पर योजनाएँ (https://prayas.nic.in):** मंत्रालय की दो योजनाओं (कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण) के महीने–वार डेटा को वेब एपीआई का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया था। यह डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई को दर्शाता है। प्रयास डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर रहा है, जिनकी निगरानी योजना और निगरानी के उद्देश्य से पीएमओ, मंत्री और अन्य शीर्ष स्तर पर एक ही मंच पर की जा रही है।

xi. **पीएम गतिशक्ति सेल:** पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रौद्योगिकी समर्थित अवसंरचना विकास मंच है–उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एकीकृत योजना, सिंक्रनाइज़ कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी के लिए जीआईएस आधारित/डेटा–आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है। यह एक एकीकृत मंच है जो ट्रंक और युटिलिटी इंफ्रा, सामाजिक और आर्थिक संपत्तियों, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना नेटवर्क, सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना, भूमि राजस्व मानचित्र, रसद सुविधाओं, कौशल केंद्रों, अस्पतालों, वन, वन्यजीव अभयारण्य आदि का विस्तृत परिदृश्य देता है।

एनएमपी को परियोजना नियोजन उपकरणों, गतिशील डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट जनरेशन आदि के साथ डेटा–आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है ताकि अवसंरचना योजना और कार्यान्वयन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता किया जा सके।

एनएमपी पोर्टल पर परियोजनाओं की आयोजना सुनिश्चित करने के लिए डीपीआईआईटी की इच्छा के अनुसार मंत्रालय में एक समर्पित पीएम गतिशक्ति सेल बनाया गया है।

कोयला मंत्रालय ने वांछित विशेषताओं वाली 3 परतों की पहचान की है, जिन्हें डीपीआईआईटी के तकनीकी भागीदार बीआईएसएजी–एन के साथ साझा किया गया है और इन परतों को

पीएम गतिशक्ति (एनएमपी) पोर्टल में शामिल किया गया है।

बीआईएसएजी–एन सभी प्लेटफार्मों पर; एनएमपी के बीच, पीएम गति शक्ति एनएमपी के साथ एकीकरण के लिए मंत्रालयों/विभागों/राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के व्यक्तिगत पोर्टल (मंत्रालयों/विभागों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए) और अन्य पोर्टल (ओं) के बीचडेटा इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा प्रदान करेगा।

xii. **कोयला मंत्रालय की साइबर सुरक्षा** : मंत्रालय की वेबसाइट और विकसित सभी एप्लिकेशन/पोर्टल को सीईआरटी–इन द्वारा पैनलबद्ध एजेंसियों से सुरक्षा ऑडिट प्राप्त करने के बाद एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है ताकि इन एप्लिकेशन/पोर्टलों को बाहरी खतरों से सुरक्षित किया जा सके। सभी वेबसाइटों/एप्लिकेशन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) सर्टिफिकेट दिए गए है।

कोयला मंत्रालय ने एप्लीकेशन पोर्टलों की सुरक्षा करने और मंत्रालय में आईटी अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए सीईआरटी–इन (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) द्वारा साइबर मुद्दों के संबंध में सुरक्षा सलाह को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है। मंत्रालय में सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। सीईआरटी–इन के दिशा–निर्देशों के अनुसार, साइबर खतरों और घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम करने और मंत्रालय के संपूर्ण नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है। साइबर सुरक्षा के संबंध में एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुदेश भी सभी सीपीएसई को आवश्यक अनुपालन के लिए परिचालित किए गए हैं। सीईआरटी–इन, आईबी, एनआईसी–सीईआरटी, एनसीआईआईपीसी, आई4सी से प्राप्त सलाहों/अलर्ट/कमजोरियों का तुरंत समाधान किया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पासवर्ड प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेस्कटॉप प्रबंधन, हटाने योग्य मीडिया सुरक्षा, सामाजिक मीडिया सुरक्षा, साइबर सुरक्षा सलाहकार और घटना रिपोटग आदि जैसे विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलुओं पर सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं। कोयला मंत्रालय में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की गई है।

नियमित आधार पर घटनाओं के वास्तविक समय के विवरण की निगरानी के लिए सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि में एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) स्थापित किया गया है। ईडीआर उपकरण आमतौर पर पता लगाने, जांच, खतरे का शिकार करने और प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करते हैं।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसयू और संगठनों को मौजूदा साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला ने अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया और अपने संबंधित संगठनों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की वकालत की। महीने के हर पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) मनाया जा रहा है और बेहतर साइबर जागरूकता के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया जा रहा है।

मंत्रालय नेटवर्क में तैनात सभी आईटी परिसंपत्तियों जैसे डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्विच आदि की एक अद्यतन सूची रखता है और पुराने/अप्रचलित नेटवर्क उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से नवीनतम मूल सॉफ्टवेयर के साथ नए उपकरणों के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा अनुपालन को पूरा न करने वाले सभी अंतिम बिन्दुओं को मंत्रालय के नेटवर्क से काट दिया गया है।